

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
Council of Scientific and Industrial Research
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg. New Delhi – 110 001

संख्या: 17-02(01)/12/2016/HR-III

दिनांक: 07/10/2026

कार्यालय ज्ञापन / OFFICE MEMORANDUM

विषय : यौन उत्पीड़न के मामलों में द्वितीय चरण की जांच संचालित करने हेतु आंतरिक समिति (IC) के सदस्यों को मानदेय प्रदान किए जाने के संबंध में।

Subject: Grant of Honorarium to the Members of the Internal Committee (IC) for conducting 2nd Stage Inquiry in cases of Sexual Harassment- reg.

आंतरिक समितियों (ICs) का गठन कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा दिनांक 16.07.2015 को जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/2/2014-Estt.(A-III) के माध्यम से जारी दिशा-निर्देशों में परिकल्पित द्वितीय चरण की जांच के दौरान, ये समितियाँ CCS (CCA) Rules, 1965 के नियम 14(2) के परंतुक के अंतर्गत जांच प्राधिकारी (Inquiring Authority) के रूप में कार्य करती हैं।

The Internal Committees (ICs) are constituted in accordance with the provisions contained in Section 4(1) of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. During the second-stage inquiry envisaged under the guidelines issued by the Department of Personnel and Training (DoPT) vide OM No. 11013/2/2014-Estt.(A-III) dated 16.07.2015, the Internal Committee functions as the Inquiring Authority under the proviso to Rule 14(2) of the CCS (CCA) Rules, 1965.

आंतरिक समिति के बाह्य/गैर-सरकारी सदस्यों (जैसे गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों), जिन्हें नियमित सरकारी मूल वेतन अथवा पेंशन प्राप्त नहीं होती है, के मानदेय की गणना एवं भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में स्पष्टीकरण एवं शंकाएं प्राप्त हुई हैं।

Clarifications and queries have been received regarding the methodology for regulating and disbursing honorarium at second stage inquiry, particularly with respect to the computation of honorarium for external/non-official members of the Internal Committee (such as representatives of NGOs) who do not draw a regular Government basic pay or pension.

इस विषय की जांच CSIR के नीति प्रभाग तथा एकीकृत वित्त प्रभाग के परामर्श से की गई है। साथ ही, इस विषय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के प्रचलित निर्देशों (DoPT OM No. 1668597747466 dated 16.11.2022), को भी ध्यान में रखा गया है।

The matter has been examined in consultation with the Policy Division and the Integrated Finance Division (IFD), CSIR, and taking into account the extant instructions of the Department of Personnel and Training (DoPT OM No. 1668597747466 dated 16.11.2022), on the subject.

जारी पृष्ठ सं. 2/-

सक्षम प्राधिकारी, CSIR ने IFD, CSIR के परामर्श से, अंतरिम उपाय के रूप में, इस विषय पर DoPT द्वारा व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए जाने तक, यह अनुमोदित किया है कि यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों में CCS (CCA) Rules, 1965 के अंतर्गत द्वितीय चरण की जांच (अनुशासनात्मक कार्यवाही) संचालित करने के लिए आंतरिक समिति (IC) के NGO/बाह्य सदस्य को रु. 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) का मानदेय प्रदान किया जा सकता है। सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले में, जहां मूल वेतन/पेंशन उपलब्ध है, सदस्यों को मानदेय का भुगतान DoPT के प्रचलित निर्देशों के अनुसार किया जा सकता है।

The Competent Authority, CSIR, in consultation with the IFD, CSIR, has, as an interim measure, pending issuance of comprehensive guidelines by the DoPT on the matter, approved that an honorarium of Rs. 10,000/- (Rupees Ten Thousand only) may be paid to an NGO/External Member of the Internal Committee (IC) for conducting the second-stage inquiry (disciplinary proceedings) under the CCS (CCA) Rules, 1965, in cases of sexual harassment. In the case of serving/retired employees, where Basic Pay/Pension is available, honorarium may be paid to the members in accordance with the extant instructions of the DoPT.

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of the Competent Authority.



(अनीता सिंह/ Anita Singh)

वरिष्ठ उप सचिव/ Sr. Deputy Secretary

प्रतिलिपि/Copy to:

1. सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रमुख/ All Directors/Heads of National Labs/Institutes of CSIR.
2. महानिदेशक, सीएसआईआर का कार्यालय/ O/o DG, CSIR
3. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (AS & FA), सीएसआईआर का कार्यालय/ O/o AS & FA, CSIR
4. संयुक्त सचिव (प्रशासन), सीएसआईआर का कार्यालय/ O/o JS (A), CSIR
5. मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO), सीएसआईआर का कार्यालय/ O/o CVO, CSIR
6. विधि सलाहकार, सीएसआईआर/ LA, CSIR
7. प्रमुख, IT प्रभाग — इस कार्यालय ज्ञापन को सीएसआईआर की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित/ Head, IT Division – with a request to host this OM on the CSIR website.